न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/96/2016	17–10–2016	03–07–2019

01– तेजा पुत्र श्री रामकुंवार जाति गुवारिया निवासी ग्राम सैंथली तह० रामगढ जिला अलवर।

–अपीलाण्ट

बनाम

01– तहसीलदार, रामगढ जिला अलवर –रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार रामगढ
दिनांक 20.09.2016 अन्तर्गत धारा 91 भू0
राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 251/2016

उपस्थितः– –वकील अपीलाण्ट

01–श्री देवेन्द्र कुमार जैन

–:निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ के आदेश दिनांक 20.09.2016 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम पीपरोली के सरकारी गै0मु0चारागाह भूमि आराजी खसरा नम्बर 77 रकबा 4.05 है0 में से 0.20 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम पीपरोली के सरकारी गै0मु0चारागाह भूमि आराजी खसरा नम्बर 77 रकबा 4.05 है0 में से 0.20 है0 पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 31.08.2016 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलांट को अतिकमी मानकर बिना सुने तीन माह का सिविल कारावास व लगान से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चातवर्ति अतिकमी माना है जबकि पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलार्थी द्वारा दिनांक 17.10.2016 को कब्जा छोडना बताया गया है तथा रिपोर्ट तहसीलदार रामगढ़ द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 07.01.2019 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलार्थी का अतिकमण नहीं होना बताया है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को सिविल कारावास के दण्ड से मुक्त किया जाता है। तथा दण्ड स्वरूप आरोपित पैनल्टी यथावत रखी जाती है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 03.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) ALWAR (RAJ.) अलवर (राज०)

03/07/19

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)